12/8/15

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित [illegible] उपस्थित।
[illegible] पत्रावली के अवलोकन [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] पत्र
स्वीकार किया जाता है [illegible] निर्णय [illegible] के
[illegible] जाकर पत्रावली दाखिल [illegible] पत्रावली
[illegible] नम्बर [illegible] कर पत्रावली
जमा [illegible] दाखिल [illegible]

[signature]

उपखण्ड [illegible] [illegible]-तिजारा)
कुम्हावर [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थनापत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
106 / 24	19.11.2024	12.08.2025

बउनवान

1. **मुकेश पुत्र श्री शिवराम जाति जाट निवासी सरायकलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।**

:– प्रार्थी

बनाम

1. **राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।**

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

श्री रणवीर सिंह यादव :– प्रार्थी वकील

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि आराजी ख० नं० हाल 822 रकबा 0.44 हैक, वाके ग्राम सरायकलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी में हो रहा प्रार्थी के पिता के नाम दुरूस्ती बाबत विवाद है इसलिये प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जिस पर प्रार्थी शांति पूर्वक काबिज होकर बदस्तूर काश्त करता आ रहा है आज भी मौके पर काबिज है।
3. यह है कि आराजी मुतनाजा के पूर्व के राजस्व जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम शिवराम दर्ज रहा है लेकिन वर्तमान सैग्रीगेसन सं0 2070 –2071 में सैग्रीगेसन विभाग की लापरवाही व गलत इन्द्राज करते हुये प्रार्थी के पिता का नाम शीशराम दर्ज कर दिया गया है।
4. यह है कि आराजी मुतनाजा के साबिक राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम शिवराम दर्ज होता रहा है एवं प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम शिवराम ही है शीशराम नाम का कोई व्यक्ति प्रार्थी के परिवार में नहीं है वर्तमान सैग्रीगेसन के दौरान राजस्व कर्मचारियों की गलती से या भूलवश प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकोर्ड में शिवराम के स्थान पर शीशराम दर्ज कर दिया गया है।
5. यह है कि प्रार्थी की अन्य आराजीयात व प्रार्थी के समस्त पहचान के दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम शिवराम दर्ज हो रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

6. यह है कि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकोर्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी के विधिक अधिकार व सुविधाओं से वंचित हो रहा है एवं आराजी से प्राप्त होने वाले लाभ परिलाभों से महरूम हो रहा है।
7. यह है कि अब दिनांक 03/05/2024 को आराजी की खसरा गिरदावरी सरकारी निगम में सरसों की फसल विक्रय के लिये नकल निकलवायी तो इस तथ्य की जानकारी हुयी इस पर प्रार्थी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम शुद्वीपत्र के जरिये दुरूस्त करने के लिये निवेदन किया तो प्रतिवादी सं0 1 इसके लिये यह कहते हुये मना कर दिया की यह अदालत का काम है हम नहीं कर सकते अदालत से आदेश कराकर लायेगें तब हम आदेश के अनुसार रिकोर्ड दुरूस्त करेगें इसलिये अदालत श्रीमान में प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी के पिता का नाम आराजी ख0 नं0 हाल 822 रकबा 0.44 है०, वाके ग्राम सरायकला तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी के नाम के साथ जुडी वल्दियत शीशराम के नाम को हजफ कर शिवराम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करावाई गई, अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो निम्न प्रकार से है कि :–
1. हाल रिकॉर्ड अनुसार ग्राम सरायकलां खसरा संख्या 822 रकबा 0.44 है० किस्म चाही तृतीय मुकेश पुत्र शीशराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन हिस्सा 1/2 देना बैंक शाखा बहरोड़ दर्ज रिकॉर्ड है।
2. संवत 2069–72 जमाबन्दी अनुसार खसरा संख्या हाल 822 साबिक 741 रकबा 0.44 है0 किस्म बारानी द्वितीय काश्तकार मुकेश पुत्र शिवराम जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।
3. जमाबन्दी 2069–72 के पश्चात भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बंदोबस्त आधार वर्ष जमाबन्दी व हाल जमाबंदी में खातेदार मुकेश पुत्र शिवराम के बजाय सहयन से मुकेश पुत्र शीशराम दर्ज हो गया अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मुकेश पुत्र शीशराम के स्थान पर मुकेश पुत्र शिवराम करने की अनुशंषा की जाती है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंक तालिका, जमाबन्दी सम्वत 2073–76, जमाबन्दी सम्वत 2061–64, जमाबन्दी सम्वत 2072–72, जमाबन्दी सम्वत 2069–72, जमाबन्दी सम्वत 2065–68, जमाबन्दी सम्वत 2061–64, सरपंच ग्राम पंचायत सराय कलां का लैटर पैड की प्रति पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी में प्रार्थी की वल्दियत शीशराम दर्ज रिकोर्ड है जबकी प्रार्थी की वल्दियत शीशराम ना होकर शिवराम है। जो सही है। तहसीलदार मुण्डावर द्वारा प्रार्थी की वल्दियत शीशराम के स्थान पर शिवराम दर्ज किये जाने बाबत भी अंभिषाशा की है। प्रार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेजात में भी वल्दियत शीशराम ना होकर शिवराम दर्ज है। जो सही है। श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी की गलत वल्दियत शीशराम को हजफ कर उसके स्थान पर सही वल्दियत शिवराम राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने का श्रम करे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन, प्रार्थी वकील की बहस पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवाज में प्रार्थी की वल्दियत शीशराम ना होकर शिवराम है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मुण्डवर की जॉच रिपोर्ट व ग्राम पंचायत सराय कलां द्वारा अपने पत्र में भी किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार यह न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 822 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम सरायकलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में अंकित प्रार्थी की वल्दियत शीशराम के स्थान पर शिवराम राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष अंकन यथावत रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)